

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

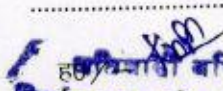
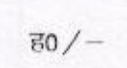
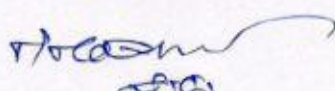
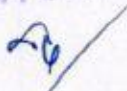
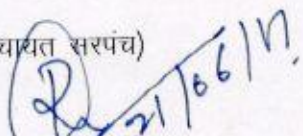
परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 18/04/17 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री नन्दा बल्लभ तिवारी राजस्व विभाग की ओर से श्री रमेश चरण प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री प्रकाश लाल सहायक अभियन्ता एवं श्री वेद प्रकाश कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वनभूमि 0.607 है०, सिविल एवं सोयम वनभूमि 1.912 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० एवं नापभूमि 1.080 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से सीमा हरसीला जिसमें 149 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 123 वृक्षों व नापभूमि 0.10 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

 ह०/— निर्माण कण्ड लो० वि० वि० (प्रयोक्ता एजेन्सी)	 ह०/— राजस्व उपनिरीक्षक 40 Galoria (राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)	 ह०/— वन विभाग का प्रतिनिधि बागेश्वर एवं प्रमाण (उपस्थापक)
 ह०/— सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० वि० वि० कपकोट	 ह०/— (प्रभागीय वनाधिकारी)	 ह०/— (ग्राम प्रधान/ वन पंचायत सरपंच)
 ह०/— (सम्बन्धित जिलाधिकारी) Magistrate Kapkote (Bageshwar)	 ह०/— (प्रभागीय वनाधिकारी) बागेश्वर वन प्रमाण, बागेश्वर	 ह०/— जिलाधिकारी बागेश्वर
 ह०/— तहसीलदार तहसील कपकोट		